



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 सितम्बर 2017—भाद्र 13, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्र. एफ-3-44-2012-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) ऐसे सहायक ग्रेड- दो एवं सहायक ग्रेड तीन, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं की है, तथा ज्येष्ठता सह योग्यता धारण करते हैं, भी लेखपाल एवं उससे उच्च पदों पर पदोन्नति प्राप्त करने की पात्रता होगी.”

No. F-3-44-2012-X-1.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class-III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rules 15, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Such Assistant Grade-II and Assistant Grade-III who have completed 45 year of age but have not passed accounts training and hold seniority cum merit, shall also be eligible for promotion in accountant and higher posts.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2015—माघ 27, शक 1936

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. एफ. 3-76-2008-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

- (1) अनुसूची-दो के कॉलम (5) के सरल क्रमांक 9 में उल्लेखित पद "डार्क रूम सहायक" के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं के सदस्यों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (ग) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वन	10. मुख्य महावत	14	—	100	—
	11. महावत	35	—	100	—

(2) अनुसूची चार में, पद "वन सहायक" के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रावधानों अंत में जोड़ी जाएं, अर्थात् :

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में उल्लिखित पद पर सेवा की न्यूनतम अवधि	पदोन्नति प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	विशेष अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वन	सहायक महावत	महावत	10 वर्ष	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता	वन संरक्षक वृत्त स्तर पर पदोन्नति के लिए तीन सहायक वन संरक्षक से मिलकर बनने वाली समिति को नामनिर्दिष्ट करेगा.	नियम 15(1) में उल्लिखित
	महावत	मुख्य महावत	12 वर्ष	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता	वन संरक्षक वृत्त स्तर पर पदोन्नति के लिए तीन सहायक वन संरक्षक से मिलकर बनने वाली समिति को नामनिर्दिष्ट करेगा.	नियम 15(1) में उल्लिखित

No. F-3-76-2008-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Class-III (Non-Ministrial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In Schedule-II as mentioned in column (5) after the serial No. 9. "Dark Room Assistant" the following posts and entries relating thereto shall be added at the end, namely :—

Name of Department	Name of Service	No. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
			By direct recruitment through competitive examination [see rule 6 (a)]	By promotion of members of service [see rule 6 (b)]	By transfer or deputation of persons from other services [see rule 6 (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Forest	10. Chief Mahavat	14	—	100	—
	11. Mahavat	35	—	100	—

(2) In Schedule-IV after the post "Deputy Ranger", the following post and entries relating thereto shall be added at the end, namely :

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Minimum period of service on the post mentioned in column (2)	Promotion procedure or selection procedure	Name of the members of the Departmental Promotion Committee	Special Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Forest	Assistant Mahavat	Mahavat	10 Years	Seniority-cum-merit	The Conservator of forests of a circle shall nominate a committee of three Assistant Conservator of Forests for Promotion.	Mentioned in rule 15(1)
	Mahavat	Chief Mahavat	12 Years	Seniority-cum-merit	The Conservator of forests of a circle shall nominate a committee of three Assistant Conservator of Forests for Promotion.	Mentioned in rule 15(1)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.